कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 85,86,87 एवं 92 / 14 तिथि–22.09.2015
सुरेश प्रसाद सिंह एवं अन्य तीन बनाम अन्य (रजला, कुढ़नी)
उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री सुरेश प्रसाद सिंह, जगदीश राम, विरेन्द्र कुमार झा एवं शिवजी पासवान द्वारा दिनांक 09.09.2014 को एक परिवाद दायर की गयी। सुरेश प्रसाद सिंह ने मनरेगा योजना में वनपोषक के रूप में दिनांक–18.11.2010 से 20.02.2011 तक काम करने एवं भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया है। इन्होंने अपना खाता नं0–1001651010001652 एवं रोजगार कार्ड नं0–132386 बताया है। जगदीश राम ने मनरेगा योजना में वर्ष 2007 में काम करने एवं भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया है। श्री विरेन्द्र कुमार झा ने मनरेगा योजना में वनपोषक के रूप में सितम्बर 2012 से दिसम्बर 2013 तक काम करने एवं भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया है। शिवजी पासवान ने मनरेगा योजना में दिनांक–20.11.2011 से 31.02.2012 तक वनपोषक का काम करने एवं भुगतान नहीं होने का आरोप लगाया है।

उपरोक्त के आलोक में मा0 मुखिया, कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी एवं पंचायत रोजगार सेवक, रजला को नोटिस की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा पत्रांक–251 दिनांक–13.12.2014 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि श्री सुरेश प्रसाद सिंह, श्री जगदीश राम, श्री विरेन्द्र झा एवं शिवजी पासवान द्वारा ग्राम पंचायत राज–रजला में वनपोषक के रूप में कार्य करने हेतु दावा किया गया है। पूर्व पंचायत रोजगार सेवक, श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा इन मजदूरों के कार्य को ई0 मस्टर–रॉल पर अंकित नहीं किया है। बार–बार स्मारित किए जाने के बावजूद भी श्री कुमार द्वारा इन मजदूरों से संबंधित अभिलेख का संपूर्ण प्रभार मस्टर–रॉल के साथ वर्त्तमान पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवक श्री रंजीत कुमार को नहीं सौप रहे है। जिसके कारण इन मजदूरों द्वारा किन–किन योजनाओं कितने दिन कार्य किया गया है आदि का सत्यापन करते हुए इनके समस्याओं का समाधान करने में काफी कठिनाई हो रही है। श्री उज्ज्वल कुमार द्वारा इन मजदूरों से संबंधित मस्टर–रॉल का प्रभार वर्त्तमान पंचायत रोजगार सेवक को सौपे जाने के बाद परिवाद पत्र में अंकित शिकायत की जाँच कर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेंगी।

कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा दिए गए जवाब में परिवादी सुरेश प्रसाद सिंह एवं अन्य तीन व्यक्तियों द्वारा वनपोषक के रूप में कार्य के बदले भुगतान लंबित रहने, जॉब कार्ड एवं पासबुक नहीं मिलने की शिकायत की गई है। इस संबंध में प्रतिवेदित करना है कि पूर्व में रजला पंचायत में पदस्थापित पंचायत रोजगार सेवक द्वारा इन मजदूरों द्वारा किये गए कार्य का ब्यौरा मस्टर रॉल में दर्ज नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में एम.आई.एस. में इन्ट्री कराया गया है। श्री उज्ज्वल कुमार के द्वारा मजदूरों का नाम एंव कार्य का ब्यौरा मस्टर–रॉल में दर्ज नहीं करने के कारण यह सत्यापन नहीं हो पा रहा कि इन मजदूरों ने किस योजना पर किस अवधि में एवं कितने दिन कार्य किया है। मजदूरों के कार्य की सत्यापन नहीं हो पाने के कारण मजदूरों के दावे के विरूद्ध भुगतान करानें में कठिनाई हो रही है। जॉब कार्ड एवं पासबुक मजदूर की व्यक्तिगत वस्तु है जो मजदूर के पास रहता है पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि उक्त सभी मजदूरों का जॉब कार्ड एवं पासबुक उनलोगों के पास ही है।

पुनः कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा पत्रांक–55 दिनांक–12.03.2015 द्वारा एक और प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि आवेदक सुरेश प्रसाद सिंह एवं अन्य तीन द्वारा भवदीय के समक्ष लंबित मजदूरी भुगतान की शिकायत दर्ज की गयी है। इस संबंध में जाँचोपरांत जो तथ्य उजागर होते है उससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, उज्ज्वल कुमार द्वारा सम्यक रूप से प्रभार का आदान–प्रदान नहीं किया गया। श्री कुमार द्वारा मनरेगा अधिनियम का पूर्णरूपेण उल्लंघन करते हुए मनमाने ढ़ंग से पौधारोपण की योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया है जिसके कारण मजदूरों का हित प्रभावित हुआ है। कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मजदूरों से कार्य स्थल पूछ कर योजना की जानकारी अभिलेख से मिलान किया गया किन्तु अभिलेख से मिलान में पाया गया कि किसी भी परिवादी व्यक्ति का नाम मस्टर–रॉल में दर्ज नहीं है। लगभग सभी व्यक्ति द्वारा नवम्बर 2011 से फरवरी 2012 के बीच कार्य का दावा किया गया है किन्तु उक्त अवधि का

22/9/15

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर

मस्टर–रॉल योजना अभिलेख में नहीं पाया गया है। अनुबंध (19) के तहत रोजगार पंजी का सृजन श्री कुमार, पंचायत रोजगार सेवक द्वारा नहीं किया गया है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या चारों मजदूर मनरेगा अंतर्गत काम किए हैं? यदि हाँ तो क्या उनको भुगतान किया जा सकता है?

–: निष्कर्ष :–

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इन मजदूरों द्वारा काम किया गया है। लेकिन तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक के लापरवाही एवं तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा ससमय पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण अभिलेखों का संधारण समुचित ढ़ंग से नहीं हो पाया। जिसका खामियाज़ा इन मजदूरों को भुगतना पड़ा। यद्यपि अन्य मामले (ज्ञापांक–88 दिनांक–08.07.2015) में तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी, श्री अश्विनी झा को ससमय निरीक्षण नहीं करने संबंधी लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके तीन माह का वेतन काटने तथा तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, रजला श्री उज्ज्वल कुमार की सेवा समाप्त करने एवं उस पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश निर्गत किया गया है। अतः पुनः दुबारा इस संदर्भ में कोई आदेश निर्गत करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में यह आदेश दिया जाता है कि वर्त्तमान कार्यक्रम पदाधिकारी, कुढ़नी को एक सख्त चेतावनी दी जाए कि भविष्य में इस तरह की अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो।

ह०/

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 112 / **मुज0,दिनांक**–22 /09/ **2015**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वय, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।
प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्रनाथ राय
22.9.15

लोकपाल (मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।